



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09052022-235643

CG-DL-W-09052022-235643

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 6]

नई दिल्ली, अप्रैल 24—अप्रैल 30, 2022, शनिवार/वैशाख 4,—वैशाख 10, 1944

No. 6]

NEW DELHI, APRIL 24—APRIL 30, 2022, SATURDAY/VAISAKHA 4,—VAISAKHA 10, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 17.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, **23-करैरा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.2.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **15.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/6-शिवपुरी/2019/856** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिवपुरी** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **19.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री अर्जुन लाल**, मध्य प्रदेश के **23-करैरा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **आम आदमी पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिवपुरी** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अर्जुन लाल** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **13.08.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **13.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री अर्जुन लाल** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री अर्जुन लाल** द्वारा **26.08.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **जिला-शिवपुरी** के दिनांक **06.07.2020** के पत्र संख्या **सा.निर्वा/व्यय लेखा/2020/198** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिवपुरी** द्वारा अपने दिनांक **06.07.2020** के पत्र सं. **सा.निर्वा/व्यय लेखा/2020/198** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री अर्जुन लाल** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अर्जुन लाल**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **23-करैरा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **आम आदमी पार्टी** अभ्यर्थी, **श्री अर्जुन लाल**, निवासी-24, वार्ड क्र. 04-रानी अवन्ती बाई नरवर, तहसील-नरवर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान

परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं.76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 17.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **23-Karera** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **15.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Shivpuri** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec. Expenditure Account/6-Shivpuri/2019/856** dated **19.01.2019**, **Shri Arjuna Lal, Aam Aadmi Party**, contesting candidate from **23-Karera** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses as required by law.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the **District Election Officer, Shivpuri** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **13.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Arjuna Lal** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **13.08.2019**, **Shri Arjuna Lal** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Arjuna Lal** on **26.08.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Shivpuri** vide his letter No. **Gen.Election/Expenditure /2020/198 dated 06.07.2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Shivpuri** vide his letter No. **Gen.Election/2020/198 dated 06.07.2020** dated it has been stated that **Shri Arjuna Lal** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Arjuna Lal** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Arjuna Lal, resident of 24, Ward No. 04 Rani Avanti Bai Narwar, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri the contesting candidate of Aam Admi Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **23-Karera** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 18.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **20.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/9-सागर/2019/951** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **16.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री अनिल चौबे (अन्नू भैया)**, मध्य प्रदेश के **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री अनिल चौबे (अन्नू भैया)** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **19.07.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **19.07.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री अनिल चौबे (अन्नू भैया)** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री अनिल चौबे (अन्नू भैया)** द्वारा **27.07.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा दिनांक **22.08.2019** के पत्र संख्या **वि.सं.निर्वा/2019/2082** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा अपने दिनांक **29.05.2020** के पत्र सं. **266/निर्वाचन/चु.पर्य./2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री अनिल चौबे (अन्नू भैया)** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अनिल चौबे (अन्नू भैया)**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री अनिल चौबे (अन्नू भैया)**, निवासी एयरपोर्ट मार्ग, 115/4 लोकनायक नगर इंदौर, आर्मी हेड क्वार्टर मध्य प्रदेश पिन 452006 को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 18.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **36-Khurai** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/ 9-Sagar/2019/951** dated **20.01.2019**, **Shri Anil Choubey (Annu Bhaiya)**, Independent contesting candidate from **36-Khurai** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses**.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **19.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Anil Choubey (Annu Bhaiya)** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **19.07.2019**, **Shri Anil Choubey (Annu Bhaiya)** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Anil Choubey (Annu Bhaiya)** on **27.07.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **Ass. Elec./2019/2082** dated **22.08.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **266/Election/Elec.Obs./2020** dated **29.05.2020** it has been stated that **Shri Anil Choubey (Annu Bhaiya)** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Anil Choubey (Annu Bhaiya)** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Anil Choubey (Annu Bhaiya)**, resident of **Airport Marg, 115/4 Loknayak Nagar Indore Armyhead Quarter (M.P.) Pin - 452006**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **36-Khurai** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 19.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 20.01.2019 के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/9-सागर/2019/951** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री **भगवान सिंह**, मध्य प्रदेश के **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री **भगवान सिंह** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री भगवान सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री भगवान सिंह द्वारा 29.07.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा दिनांक 22.08.2019 के पत्र संख्या वि.सं.निर्वा/2019/2082 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा अपने दिनांक 29.05.2020 के पत्र सं. 266/निर्वाचन/चु.पर्य./2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री भगवान सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री भगवान सिंह, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 36-खुरई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री भगवान सिंह, निवासी महुना गूजर तहसील राहतगढ़ जिला सागर को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 19.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **36-Khurai** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/ 9-Sagar/2019/951** dated **20.01.2019**, **Shri Bhagwan Singh, Independent** contesting candidate from **36-Khurai** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **19.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Bhagwan Singh** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **19.07.2019**, **Shri Bhagwan Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Bhagwan Singh** on **29.07.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **Ass. Elec./2019/2082** dated **22.08.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **266/Election/Elec.Obs./2020** dated **29.05.2020** it has been stated that **Shri Bhagwan Singh** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Bhagwan Singh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Bhagwan Singh**, resident of **Mahuna Gujar Tehsil Khurai Rahatgarh Dist. Sagar**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **36-Khurai** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 20.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 36-खुरई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 20.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/9-सागर/2019/951 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री नरेन्द्र सिंह, मध्य प्रदेश के 36-खुरई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नरेन्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री नरेन्द्र सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा 29.07.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा दिनांक 22.08.2019 के पत्र संख्या वि.सं.निर्वा/2019/2082 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा अपने दिनांक 29.05.2020 के पत्र सं. 266/निर्वाचन/चु.पर्य./2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री नरेन्द्र सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नरेन्द्र सिंह, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम मिर्जापुर, तह. बीना जिला सागर म.प्र.** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 20.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **36-Khurai** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/9-Sagar/2019/951** dated **20.01.2019**, **Shri Narendra Singh, Independent** contesting candidate from **36-Khurai** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **19.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Narendra Singh** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **19.07.2019**, **Shri Narendra Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Narendra Singh** on **29.07.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **Ass. Elec./2019/2082** dated **22.08.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **266/Election/Elec.Obs./2020** dated **29.05.2020** it has been stated that **Shri Narendra Singh** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Narendra Singh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Narendra Singh**, resident of **Village Mirjapur, Tah. Bina, Dist. Sagar (M.P.)**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **36-Khurai** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 21.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 20.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/9-सागर/2019/951 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री राधे अहिरवार, मध्य प्रदेश के **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राधे अहिरवार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राधे अहिरवार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राधे अहिरवार द्वारा 29.07.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा दिनांक 26.08.2020 के पत्र संख्या 580/निर्वाचन/चु.पर्य./2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा अपने दिनांक 26.08.2020 के पत्र सं. 580/निर्वाचन/चु.पर्य./2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राधे अहिरवार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही

लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री राधे अहिरवार**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री राधे अहिरवार**, निवासी बांदरी करौती तहसील मालथौन जिला सागर को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 21.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **36-Khurai** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/9-Sagar/2019/951** dated **20.01.2019**, **Shri Radhe Ahirwar**, **Independent** contesting candidate from **36-Khurai** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **19.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Radhe Ahirwar** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **19.07.2019**, **Shri Radhe Ahirwar** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Radhe Ahirwar** on **29.07.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **580/Election/Elec.Ob./2020** dated **26.08.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **580/Election/Elec.Ob./2020** dated **26.08.2020** it has been stated that **Shri Radhe Ahirwar** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Radhe Ahirwar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Radhe Ahirwar**, resident of **Bandri Karaoti, Tah – Malthone Dist. Sagar**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **36-Khurai** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 22.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **20.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/9-सागर/2019/951** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **16.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री राजेश**, मध्य प्रदेश के **36-खुरई** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री राजेश** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **19.07.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राजेश को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राजेश द्वारा 28.07.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा दिनांक 22.08.2019 के पत्र संख्या वि.सं.निर्वा/2019/2082 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर द्वारा अपने दिनांक 29.05.2020 के पत्र सं. 266/निर्वाचन/चु.पर्य./2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजेश ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजेश, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 36-खुरई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री राजेश, निवासी ग्राम नगदा, तह. खुरई जिला – सागर, म.प्र. को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 22.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 36-Khurai Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/9-Sagar/2019/951** dated **20.01.2019**, **Shri Rajesh, Independent** contesting candidate from **36-Khurai** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sagar** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **19.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Rajesh** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **19.07.2019**, **Shri Rajesh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Rajesh** on **28.07.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **Ass. Elec./2019/2082** dated **22.08.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sagar** vide his letter No. **266/Election/Elec.Obs./2020** dated **29.05.2020** it has been stated that **Shri Rajesh** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Rajesh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Rajesh**, resident of **Village Nagda, Tah. Khurai Dist. (Sagar) M.P.**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **36-Khurai** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 23.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **63-सतना** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/14-सतना/2019/876 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, मध्य प्रदेश के 63-सतना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 31.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 03.10.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02.09.2020 के पत्र संख्या 610/ई/15-25/निर्वा./व्यय लेखा/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा अपने दिनांक 02.09.2020 के पत्र सं. 610/ई/15-25/निर्वा./व्यय लेखा/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 63-सतना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, निवासी मुख्त्यारगंज सतना तह रघुराजनगर जि- सतना को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 23.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **63-Satna** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter **File No. 10-A/Four/Elec. Expenditure Account/14-Satna/2019/876** dated **19.01.2019**, **Shri Rajendra Kumar Verma, Independent** contesting candidate from **63-Satna** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **31.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Rajendra Kumar Verma** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **31.07.2019** to **Shri Rajendra Kumar Verma** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

And WHEREAS, the said notice was received by him on **03.10.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec/Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec/Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Shri Rajendra Kumar Verma** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Rajendra Kumar Verma** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Rajendra Kumar Verma**, resident of **Mukhtyarganj Satna, Teh.- Raghurajnagar, Distt.- Satna (m.p.)** the contesting **Independent Candidate** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **63-Satna** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 24.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **63-सतना** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/14-सतना/2019/876** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **16.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री रामोराम गुप्ता**, मध्य प्रदेश के **63-सतना** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **सपाक्स पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रामोराम गुप्ता** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **31.07.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **31.07.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री रामोराम गुप्ता** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **03.10.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** द्वारा दिनांक **02.09.2020** के पत्र संख्या **610/ई/15-25/निर्वा./व्यय लेखा/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** द्वारा अपने दिनांक **02.09.2020** के पत्र सं. **610/ई/15-25/निर्वा./व्यय लेखा/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री रामोराम गुप्ता** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रामोराम गुप्ता**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 63-सतना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले सपाक्स पार्टी के अभ्यर्थी, श्री रामोराम गुप्ता, निवासी केसरी भवन शगुन साडी होटल सबेरा के सामने रीवा रोड, सतना को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 24.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **63-Satna** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter **File No. 10-A/Four/Elec. Expenditure Account/14-Satna/2019/876** dated **19.01.2019**, **Shri Ramoram Gupta, Sapaks Party** contesting candidate from **63-Satna** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses as manner required by law.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **31.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Ramoram Gupta** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **31.07.2019** to **Shri Ramoram Gupta** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

And WHEREAS, the said notice was received by **him** on **03.10.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec/Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec/Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Shri Ramoram Gupta** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Ramoram Gupta** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ramoram Gupta**, resident of **Keshri Bhawan Shagun Sari Hotel Severa ke Samne Rewa Road Satna (m.p.)** the contesting **Sapaks Party** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **63-Satna** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 25.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **63-सतना** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/14-सतना/2019/876** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **16.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री शशॉक सिंह**, मध्य प्रदेश के **63-सतना** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **अनारक्षित समाज पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री शशॉक सिंह** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **31.07.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **31.07.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री शशॉक सिंह** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके भाई द्वारा 03.10.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02.09.2020 के पत्र संख्या 610/ई/15-25/निर्वा./व्यय लेखा/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा अपने दिनांक 02.09.2020 के पत्र सं. 610/ई/15-25/निर्वा./व्यय लेखा/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शशोक सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शशोक सिंह, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 63-सतना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अनारक्षित समाज पार्टी के अभ्यर्थी, श्री शशोक सिंह, निवासी ग्राम सोनोरा पो.आ. बेलहटा तह. रघुराजनगर जिला सतना (म. प्र.) को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1.]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 25.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 63-Satna Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 16.01.2019 submitted by the District Election Officer, Satna District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter File No. 10-A/Four/Elec. Expenditure Account/14-Satna/2019/876 dated 19.01.2019, Shri Shashank Singh,

Anarakshit Samaj Party contesting candidate from **63-Satna** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **31.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Shashank Singh** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice **dated 31.07.2019 to Shri Shashank Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

And WHEREAS, the said notice was received by **his brother** on **03.10.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec/Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec/Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Shri Shashank Singh** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Shashank Singh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shashank Singh**, resident of **Vill.Sonaura,Post – Belahta, Teh.-Raghurajnagar, Distt.- Satna (m.p)** the contesting **Anarakshit Samaj Party** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **63-Satna** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 26.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **63-सतना** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/14-सतना/2019/876 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत), मध्य प्रदेश के 63-सतना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत), को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 31.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत), को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके भाई द्वारा 03.10.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02.09.2020 के पत्र संख्या 610/ई/15-25/निर्वा./व्यय लेखा/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा अपने दिनांक 02.09.2020 के पत्र सं. 610/ई/15-25/निर्वा./व्यय लेखा/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत) ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत), निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 63-सतना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत), निवासी झुग्गी झोपड़ी बस स्टैंड के पास रीवा रोड सतना (म. प्र.) को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 26.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **63-Satna** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter **File No. 10-A/Four/Elec. Expenditure Account/14-Satna/2019/876** dated **19.01.2019**, **Shri Shyama Ahirwar (ShyamLal Saket)**, **Independent** contesting candidate from **63-Satna** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses as manner required by law.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **31.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Shyama Ahirwar (ShyamLal Saket)** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice **dated 31.07.2019 to Shri Shyama Ahirwar (ShyamLal Saket)** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **his brother** on **03.10.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec/Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec/Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Shri Shyama Ahirwar (ShyamLal Saket)** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Shyama Ahirwar (ShyamLal Saket)** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shyama Ahirwar (ShyamLal Saket)**, resident of **Jhuggi Jhopdi Bus Stand ke pass Rewa Road Satna (m.p.)** the contesting **Independent Candidate** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **63-Satna** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 27.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 65-मैहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/15-रीवा/2019/931 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री शिवम पाण्डेय उर्फ शिबू, मध्य प्रदेश के 65-मैहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले सम्पूर्ण समाज पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शिवम पाण्डेय उर्फ शिबू को कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.08.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 29.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शिवम पाण्डेय उर्फ शिबू को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनकी माँ द्वारा 23.10.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02.09.2020 के पत्र संख्या 610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा द्वारा अपने दिनांक 02.09.2020 के पत्र सं. 610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शिवम पाण्डेय उर्फ शिबू ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शिवम पाण्डेय उर्फ शिबू, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **65-मैहर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले सम्पूर्ण समाज पार्टी के अभ्यर्थी, **श्री शिवम पाण्डेय उर्फ शिबू, निवासी 212, वार्ड न 13 मंगल भवन के पास अम्बेडकर नगर मैहर जिला सतना म.प्र. 485771** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 27.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **65-Maihar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/14-Satna/2019/876** dated **19.01.2019**, **Shri Shivam Pandey Urf Shibbu, Sampoorana Samaj Party** contesting candidate from **65-Maihar** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **29.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Shivam Pandey Urf Shibbu** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **29.08.2019**, **Shri Shivam Pandey Urf Shibbu** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **his mother** on **23.10.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Rewa** vide his letter No. **25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Shri Shivam Pandey Urf Shibbu** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Shivam Pandey Urf Shibbu** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shivam Pandey Urf Shibbu**, resident of **212 Ward No. 13 Mangal Bhawan ke paas Ambedkar Nagar Maihar Distt-Satna (M.P.) 485771**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **65-Maihar** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

आ.अ. 28.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **72-देवतालाब** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/15-रीवा/2019/931** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री गौरी शंकर साकेत**, मध्य प्रदेश के **72-देवतालाब** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री गौरी शंकर साकेत** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **12.09.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **12.09.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री गौरी शंकर साकेत** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके पुत्र द्वारा **16.08.2020** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** द्वारा दिनांक **18.09.2020** के पत्र संख्या **514/15/निर्वा./ES/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा द्वारा अपने दिनांक **28.09.2020** के पत्र सं. **539/15/निर्वा./ES/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री गौरी शंकर साकेत** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री गौरी शंकर साकेत**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **72-देवतालाब** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री गौरी शंकर साकेत**, निवासी **63 गांव फरहदा पो. फरहदा टोला बराह, वार्ड सं. 04 थाना लौर, तह. मऊगंज जि. रीवा मध्य प्रदेश** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प्र.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2022

O.N. 28.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **72-Deotalab** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Rewa** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/15-Rewa/2019/931** dated **19.01.2019**, **Shri Gauri Shankar Saket, Independent** contesting candidate from **72-Deotalab** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Rewa** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **12.09.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89

of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Gauri Shankar Saket** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **12.09.2019**, **Shri Gauri Shankar Saket** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **his son** on **16.08.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Rewa** vide his letter No. **514/15/Election/ES/2020** dated **18.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Rewa** vide his letter No. **539/15/Election/ES/2020** dated **28.09.2020** it has been stated that **Shri Gauri Shankar Saket** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Gauri Shankar Saket** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Gauri Shankar Saket**, resident of **63 Village-Pharahda, Post Pharahda Tola Baraha Ward No 04 Thana Laur, Tehsil Mauganj District-Rewa, Madhya Pradesh**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **72-Deotalab** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.